राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/करौली/2019–20 / 46235-45 दिनांकः 18/12/2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
करौली।

विषयः– सीसी रोड निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भः– आपका पत्रांक 1132 दिनांक 14.11.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय विभिन्न जारी प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कॉलम संख्या–2 में वर्णित कार्यों हेतु कॉलम संख्या–7 में वर्णित राशि की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है:–

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत (राशि लाखो में)

क.स.	कार्य का नाम	ग्रा.प./पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति	
			क्र/दि	राशि	क्र/दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	इन्टरलॉकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य– महादेव मंदिर से बाग की ओर बझेड़ा	बझेडा/ हिण्डौन	37165–71 30.09.2019	10.00	3254/ 03.10.19	10.00
2.	इन्टरलॉकिंग टाईल्स रोड निर्माण कार्य– भूडवारे मंदिर से ठाकुर जी मंदिर तक कारवाडा	बझेडा/ हिण्डौन	37165–71 30.09.2019	10.00	3255/ 03.10.19	10.00
	योग			20.00		20.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय माडा क्षेत्र में SCA मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–48/2019–20 दिनांक 08.11.2019 द्वारा जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना हेतु प्राप्त राशि रू 100.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के पी.डी. खाते में उपलब्ध है।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
3. कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
5. सार्वजनिक/निर्विवाद भूमि पर ही कार्य कराया जाये। **यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृत योजना से अधिकांश जनजाति परिवार लाभांवित हो।**

6. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
7. जिला परिषद द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यो के उपयोगिता प्रमाण–पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएगें।
8. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का प्रर्दश बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।
9. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम मे जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नही किया जावें।
10. कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्त्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।
11. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन **गुणवत्तापूर्वक** किया जावें।
12. समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे। कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
13. कार्यो पर स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावें।

भवदीय,
sd
(शिवांगी स्वर्णकार), I.A.S.
आयुक्त

क्रमांकः–एफ 5( )/एसीटीएडी/माडा/बजट/करौली/2019–20 46235-45 दिनांकः–18.12.19
प्रतिलिपि –

1. विशिष्ठ सचिव, मा. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, करौली ।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि माडा क्षेत्र में SCA मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या–48/2019–20 दिनांक 08.11.2019 द्वारा जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना हेतु प्राप्त राशि रू 100.00 लाख में से 20.00 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली हस्तान्तरित करावें।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डौन, जिला करौली,।
7. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
10. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
उदयपुर (राज.)